"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डांक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 110-अ] रायपुर, शनिवार, दिनांक 5 मई 2012—वैशाख 15, शक 1934

सामान्य प्रशासन विभाग
(राज्य पुनर्गठन प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 मई 2012

आदेश

क्रमांक एफ 4-1/2007/1-7.—विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 3174/D-1191/XXI-B/C.G./2012, दिनांक 17 अप्रैल 2012 एवं 2 मई 2012 के परिपालन में श्री राम प्रसन्न शर्मा, विधिक सलाहकार, छत्तीसगढ़ लोक आयोग की सेवाएं एतद्द्वारा विधि और विधायी कार्य विभाग को वापस लौटाई जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.